

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग 2

कोषागार प्रपत्र - 209 (1)

प्रपत्र संख्या 43ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो)या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम

2. पता

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया- शाखा औरैया।

श्री ग्रीस कुमार वैश्य, जनपद न्यायाधीश, औरैया
जनपद न्यायालय औरैया।

जनपद न्यायालय औरैया।

3. पंजीकरण संख्या/पद का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है। तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

5. चालान की समस्त राशि

6. चालान की निश्चित राशि

7. लेखा शीर्षक का पूर्ण वितरण/लेखा शीर्षक की मुहर

8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

राजकीय वाहन इनोवा वाहन सं०- यू०पी० 79 जी 0257 से दि. 16.12.23 से दि. 18.12.23 तक चली कुल 923 किमी० में 200 किमी० की छूट का लाभ न लेते हुए सम्पूर्ण 923 किमी० का भुगतान रु 3.00 प्रति किमी० की दर से कुल धनराशि 2769/- जमा करने हेतु

0070-60-800-05

0070-60-800-05

मुख्य लेखा शीर्षक उप मुख्य लेखा शीर्षक

0 0 7 0

6 0

लघु शीर्षक

8 0 0

उप शीर्षक

0 5

व्योरेवार शीर्षक

धनराशि अंको में

Rs. 2769/-

Rs. 2769/-

धनराशि शब्दों में-(रुपये दो हजार सात सौ उनहत्तर मात्र) योग-

Rs. 2769/-

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

22.12.2023
District Judge जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर
AURAIYA

चालान संख्या

LM 2023

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

अंको में

दिनांक

शब्दों में रु०

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
22
नगद
संख्या नं०

प्राप्त किया
उपकोषागार/बैंक की मुहर